

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 160/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **धीरेन्द्र सिंह**
रजिस्टर्ड कार्यालय:- 09, कम्यूनिटी सेन्टर, बसंत लोक विहार, नई दिल्ली-110057
हाल जयपुर

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अरबाज खान शेख पुत्र कमरुद्दीन

प्रथम पता:- ए1-बी, खसरा नम्बर 37, रेवेन्यू एरिया, सीकर, वार्ड नं. 65, फ्रंट ऑफ सबलपुरा पावर हाउस, बिस्मिल्लाह कॉलोनी भैरुपुरा कच्चा रास्ता, फतेहपुर रोड़, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

द्वितीय पता:- मौहल्ला बिसायतियान, वार्ड नं. 24, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

तृतीय पता:- शाफप नं. 9, पारीक ज्यूस वाली गली, बजाज रोड़, माचीवाड़ा, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

2. साहील खान शेख पुत्र कमरुद्दीन

प्रथम पता:- ए1-बी, खसरा नम्बर 37, रेवेन्यू एरिया, सीकर, वार्ड नं. 65, फ्रंट ऑफ सबलपुरा पावर हाउस, बिस्मिल्लाह कॉलोनी भैरुपुरा कच्चा रास्ता, फतेहपुर रोड़, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

द्वितीय पता:- मौहल्ला बिसायतियान, वार्ड नं. 24, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

3. प्रवीण शेख पत्नि कमरुद्दीन

प्रथम पता:- ए1-बी, खसरा नम्बर 37, रेवेन्यू एरिया, सीकर, वार्ड नं. 65, फ्रंट ऑफ सबलपुरा पावर हाउस, बिस्मिल्लाह कॉलोनी भैरुपुरा कच्चा रास्ता, फतेहपुर रोड़, सीकर, जिला-सीकर (राज.)


द्वितीय पता:- मौहल्ला बिसायतियान, वार्ड नं. 24, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

तृतीय पता:- शाफप नं. 9, पारीक ज्यूस वाली गली, बजाज रोड़, माचीवाड़ा, सीकर, जिला-सीकर (राज.)

- अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 15 सितम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अरबाज खान शेख पुत्र कमरुद्दीन, साहील खान शेख पुत्र कमरुद्दीन एवं प्रवीण शेख पत्नि कमरुद्दीन** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **प्लॉट नं. ए1-बी, पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 37, रेवेन्यू एरिया, सीकर, वार्ड नं. 65, इनफ्रंट ऑफ सबलपुरा पॉवर हाउस, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, भैरुपुरा कच्चा रास्ता, फतेहपुर रोड़, सीकर, जिला-सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 112.53 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में प्लॉट नं. 53, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. ए-1-ए, उत्तर दिशा में 15 फीट चौड़ी रोड़ एवं दक्षिण दिशा में नाजिर तेली रेजीडेंसी स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹22,44,000/- रुपये (अक्षरे रुपये बाईस लाख चौवालिस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।


(मुकुंशर्मा)
जिला कनिष्ठ न्यायाधीश, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अरबाज खान शेख पुत्र कमरुद्दीन, साहील खान शेख पुत्र कमरुद्दीन एवं प्रवीण शेख पत्नि कमरुद्दीन** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **प्लॉट नं. ए1-बी, पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 37, रेवेन्यू एरिया, सीकर, वार्ड नं. 65, इनफ्रंट ऑफ सबलपुरा पॉवर हाउस, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, भैरुपुरा कच्चा रास्ता, फतेहपुर रोड़, सीकर, जिला-सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 112.58 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में प्लॉट नं. 53, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. ए-1-ए, उत्तर दिशा में 15 फीट चौड़ी रोड़ एवं दक्षिण दिशा में नाजिर तेली रेजीडेंसी स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
 मुकुल शर्मा
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर